आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
18/04/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 03 / 2013** **हरिपद मुण्डा एवं अन्य बनाम् अन्तु महतो** प्रश्नगत् पुनरीक्षण वाद अपर समाहर्त्ता, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील संख्या–09-R15/2011-12 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया था। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू द्वारा भूमि वापसी वाद संख्या–03 / 2010–11 में खाता नम्बर–66, प्लॉट नम्बर–197, रकबा–0.19 एकड़ भूमि के वापसी हेतु आदेश पारित किया गया था, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। प्रश्नगत् वाद में अपीलार्थी की तरफ से अंतिम हाजिरी दिनांक–19.09.2017 को दी गयी थी। उक्त तिथि के पश्चात् विपक्षी 02 तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित हुये किन्तु अपीलार्थी कभी भी उपस्थित नहीं हुये। उभयपक्षों को दिनांक–17.01.2022, 21.03.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु मौका दिया गया, किन्तु वे अनुपस्थित रहे। पुनः दिनांक–07.04.2022 को सुनवाई हेतु अंतिम मौका दिया गया, किन्तु न्यायालय में पक्षकार उपस्थित नहीं हुये। अतः उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर वाद के निष्पादन का निर्णय लिया गया। प्रश्नगत् वाद में आदिवासी रैयत द्वारा वर्ष–1945 में भूतपूर्व जमीन्दार के निबंधित इस्तीफा से भूमि सौंप दी गयी, जिनके द्वारा भूमि पर दखल करते हुये विपक्षी के पिता–राधानाथ महतो के साथ निबंधित कबूलियत से भूमि को दिनांक–28.06.1945 में ही बंदोबस्त कर दिया गया। उसी समय से विपक्षी भूमि पर दखलकार है तथा उनके नाम से दाखिल–खारिज होकर नियमित रूप से लगान रसीद भी निर्गत है। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् से ही राधानाथ महतो के नाम से निर्गत रसीद उनके दखल को स्पष्ट करता है। उक्त भूमि के वापसी हेतु वर्ष–2010 में भूमि वापसी का आवेदन दिया गया। स्पष्टतः 60 वर्षों के पश्चात् दायर यह भूमि वापसी वाद कालबाधित था। आवेदक द्वारा उक्त इस्तीफानामा एवं बंदोबस्ती को जालसाजी एवं मिलीभगत की कार्रवाई बतायी गयी है, किन्तु निबंधित	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	दस्तावेज के माध्यम से किये गये बंदोबस्ती को तथा इस्तीफानामा को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। वर्ष–1948 के पूर्व आदिवासी भूमि के इस्तीफा एवं बंदोबस्ती हेतु किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। स्पष्टतः भूमि का हस्तांतरण वर्ष–1945 में हुआ तथा विपक्षी लगातार उक्त भूमि के दखल में है, जैसा कि निर्गत लगान रसीद से स्पष्ट होता है। भूमि वापसी का यह आवेदन स्पष्टतः कालबाधित है। अपीलीय न्यायालय द्वारा उचित समीक्षोपरान्त भूमि वापसी के आदेश को रद्द किया गया है। इस न्यायालय में आवेदकों के तरफ से कोई भी नया तथ्य उल्लेखित नहीं किया गया है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.09.05 13:16:11 +05:30
Location: 192.168.1.40